

अतः आदेश है कि:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ताफैसला गूल दावा रवीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम बस्सी स्थित आराजी खसरा नम्बर 2578/1886 रकबा 0.2700 हैक्टेयर का बेचान नहीं करें, ना कोई निर्माण करें एवं दखलंदाजी नहीं करे ना ही दीगर से करावें व मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण

